03.3.22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप० आये। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर गौर किया।

प्रार्थना-पत्र के पैरा सं० 13 में प्रार्थी ने विवादग्रस्त आराजी पर "प्रतिवादी नं. 1 लगायत 32 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे" इस प्रकार का अनुतोष चाहा है।

निष्कर्षत: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है न कि स्थायी निषेधाज्ञा जो कि धारा 188 आर.टी.ए. में वर्णित है।

अत: आदेशानुसार प्रार्थना-पत्र पोषणीय न होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील कार्यवाही [illegible] के दाखिल [illegible] हो। [illegible] मुख्यालय में [illegible]

3/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:34:43 IST
Reason: SelfAttested